कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरतरा
जिला–बेमेतरा (छ0ग0)

E-mail ID- govtcollegebortara@gmail.com Website- www.govtcollegeparpodi.in

क्र./ 63 /स्था./अति.व्या./2026 बोरतरा दिनांक 19/08/2026

–:: अतिथि क्रीड़ाधिकारी/सहायक क्रीड़ाधिकारी हेतु विज्ञापन ::–

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र./ESTB-2035/637/2026-RAJPRATRITSTHAPNA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.26 एवं छ0ग0उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्र0 / ESTB-1027 / 1216 / 2025 / 38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.26 के अनुसार शासकीय नीवन महाविद्यालय बोरतरा जिला – बेमेतरा में अतिथि क्रीड़ाधिकारी, सहायक क्रीड़ाधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 25.08.2026 तक सायं 4 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें।) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि क्रीड़ाधिकारी/सहायक क्रीड़ाअधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता महाविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरुप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि क्रीड़ाधिकारी, अतिथि क्रीड़ासहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अग्रेंजी माध्यम आर्देश महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु 1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अग्रेंजी माध्यम से अध्यापन को अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र–छात्राओं से अग्रेंजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
3. आयु सीमा–क्रीड़ाअधिकारी/सहायक क्रीड़ाअधिकारी अधिकतम 62 वर्ष तक होगी।

19.8.26

प्राचार्य
नवीन शास. महाविद्यालय बोरतरा
जि.ला.-बेमेतरा (छ.ग.)

4. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय/पदों का विवरण : –

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1.	–	–	–	–	–	01
2.	–	–	–	–	–	–

टीप: – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें : –

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 25-08-26 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 31-08-26 को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 04-09-26 तक होगी।

19.8.26
प्राचार्य
नवीन शास. महाविद्यालय बोरतरा
वि.खं.-साजा, जि.-बेमेतरा(छ.ग.)

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 05-09-26 को दिया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय /अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे इस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. मानदेयः–

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :–

- अतिथि व्याख्याता मानदेय – 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल / क्रीडा अधिकारी – 1600/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 40,000/–)
- अतिथि शिक्षण सहायक– 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)
- अतिथि ग्रंथपाल सहायक/ अतिथि क्रीड़ा सहायक – 1200/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 30,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य शासकीय महावि- बोरतरा जिला- बेमेतरा एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

19.8.26
प्राचार्य
नवीन शास. महाविद्यालय बोरतरा
वि.खं.-साजा, जि.-बेमेतरा (छ.ग.)

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

19.8.26

प्राचार्य

संस्था प्रमुख
विश्वविद्यालय / महाविद्यालय ....
जिला–..........................